



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – sanchi13a@gmail.com

!! पार्लर/बूथ/एजेंसी/वाल पेंटिंग एवं लिखाई कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा की सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा इन्दौर शहर एवं अपकन्ट्री (ग्रामीण) धार/झाबुआ/अलीराजपुर/बड़वानी/सेंधवा/खण्डवा-बुरहानपुर/देवास/खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्लर/बूथ/एजेंसी/वाल पेंटिंग एवं लिखाई कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा के माध्यम से **Online** दरें आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुबन्ध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदन **MPCDF** की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रु. **1,000/-** का भुगतान कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर **Online** आवेदन दिनांक **17-02-2025** तक जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा। अतः निविदाकर्ता निरंतर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में
पार्लर / बूथ / एजेंसी / वॉल पेंटिंग एवं
लिखाई कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र
वर्ष 2024 - 2027



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, मागलिया, इन्दौर

**ॐ इन्दौर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्लर/बूथ/एजेंसी/वॉल पेंटिंग एवं
लिखाई कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र ६०**

(1)	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की दिनांक अंतिम तिथि एवं समय।	—	17.02.2025 दोपहर 12:30 बजे तक।
(2)	ई-निविदा (ऑनलाईन) जमा करने तक की अंतिम दिनांक व समय	—	17.02.2025 दोपहर 12:30 बजे तक।
(3)	ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	—	18.02.2025 दोपहर 1:30 बजे तक।
(4)	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि।	—	रु. 1,00,000 /— (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) ऑनलाईन (R.T.G.S.) डिजीटल पेमेंट के माध्यम से
(5)	आवश्यक अर्हताएँ का प्रारूप	—	प्रपत्र 01
(6)	नियम एवं शर्तें	—	प्रपत्र 02
(7)	“भाव पत्र/दर” प्रस्तुत करने का प्रारूप	—	प्रपत्र 03
(8)	निविदाकार का परिचय प्रपत्र	—	प्रपत्र 04
(9)	शपथ पत्र का प्रमाण पत्र।	—	प्रपत्र 05
(10)	अनुभव का प्रमाण पत्र।	—	प्रपत्र 06
(11)	अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	—	प्रपत्र 07

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :-

निविदाकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्कैन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी। ई-निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति इन्दौर दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।

-X-

आवश्यक अर्हताएँ

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

महोदय,

इन्दौर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा इन्दौर शहर में शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग एवं लिखाई कार्य हेतु हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)		निविदाकर्ता का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) अंकित करें।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/ कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/ मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 04 संलग्न करें।		निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 04 संलग्न करें।
1.4	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित हो।		तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। निविदा के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है।
1.5	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को शासकीय/सहकारी/ निजी कंपनी		तदाशय का शासकीय/सहकारी /निजी कंपनी द्वारा जारी 05 वर्षों के कार्य आदेशों की छायाप्रतियां प्रतियां एवं उक्त की

	में विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के पेंटिंग व लिखाई कार्य में 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र. 06 पर संलग्न है।
1.6	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु. 100000/- (एक लाख रुपये) की रसीद संलग्न करें।
1.7	निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) का वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का आई.टी.आर. की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय के वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में का आई.टी.आर. की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
1.8	निविदाकर्ता को (फर्म/कम्पनी/ एकल स्वामित्व/ पार्टनरशिप फर्म) का जीएसटी नंबर होना चाहिए		तदाशय के जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करें।
1.9	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमि एम.एस. एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म/कम्पनी/एकलस्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाएँ अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर—.....

नाम —

पता —

.....

मोबाईल नम्बर

:: पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग एवं लिखाई कार्य हेतु निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्तें ::

1. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है। जिसे केवल पात्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः निविदाकर्ता अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
2. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रु.1,000,00/- (रुपये एक लाख मात्र) जो कि पेयबल at इन्दौर हकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम से देय होगा, R.T.G.S. के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ईएमडी राशि, प्रतिभूति राशि में समायोजित होगी। तदुपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक माह में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
4. केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किए ऐसी निविदाएं अपात्र घोषित होंगी।
5. **चयन प्रक्रिया—**
- 5.1 निविदाकर्ताओं के निविदा की तकनीकी अर्हताएं ई-निविदा के नियमों के अनुसार सफल पाए जाने के पश्चात् सफल निविदाकर्ताओं की वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- 5.2 यदि एक से अधिक निविदाकर्ता की ऑनलाईन दरें एक समान पाई जाती हैं तो चयन Computer Randomisation के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता की ई.एम.डी राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।
7. निविदाकर्ता को दर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास निहित होगा।
9. निविदा स्वीकृति के उपरांत सफल निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि 3 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदाकर्ता का कार्य 3 वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर 02 वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।

10. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
11. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
13. निविदाकर्ता यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
14. पात्र निविदाकर्ता को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकर्ता द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में दुग्ध संघ का निर्णय अंतिम होगा।
15. अनुबंध अवधि में निविदा की स्वीकृत दर पर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई दर पर भुगतान देय नहीं होगा। निविदाकर्ता दरें बाजार में प्रचलित वाजिब मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने समस्त व्ययों एवं कर को समाहित करते हुए ऑन लाइन प्रस्तुत करें। ऑन लाइन दरें खोले जाने के उपरांत दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकर्ताओं के अन्य कारण स्वीकार नहीं होंगे।
16. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर से परिवर्तन से परे होना चाहिए।
17. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में, समस्त कर एवं निमार्ण की सामग्री तथा परिश्रमिक व्यय सहित रहेगा।
18. दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वॉल/बूथ/पार्लर/अन्य पेंटिंग कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण करना होगा। कार्य में विलंब किए जाने पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

क्रं.	क्षतिपूर्ति राशि	विलंब की अवधि
1	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

19. पेंटिंग कार्य में लगने समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।

20. सफल निविदाकर्ता को देयकों का भुगतान समय-समय पर किए गए कार्यों के सत्यापन होने के पश्चात् किया जाएगा।
21. कार्य में उपयोग की गई सामग्रीयां प्रतिष्ठित कंपनियों के मानक स्तर के ही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह पुनः सामग्रीयों का निर्माण करे अन्यथा दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा।
22. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते पाए जाते हैं तो दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा। जो कि सफल निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।
23. पेंटिंग कार्य हेतु सूची प्रपत्र क्र.03 पर संलग्न है जिसे निविदाकर्ता को केवल ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा।
24. वॉल/बूथ/पार्लर/अन्य पेंटिंग कार्य दुग्ध संघ द्वारा स्पष्ट किए गए मापदंडों एवं गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। समस्त कार्य दुग्ध संघ के संबंधित अधिकारी के मार्गदर्शन एवं देखरेख में किया जाना होगा।
25. सफल निविदाकर्ता को पेंटिंग का कार्य इन्दौर शहर में एवं अन्य स्थानों में दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार गंतव्य स्थल तक पहुंचकर करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। कार्य गुणवत्ताहिन होने पर सफल निविदाकर्ता को पुनः निर्धारित मापदंड अनुसार करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौती सफल निविदाकर्ता के देयकों से किया जाएगा।
26. सफल निविदाकर्ता को पेंटिंग का कार्य इन्दौर शहर में एवं अन्य स्थानों में दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार गंतव्य स्थल तक पहुंचकर करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। कार्य गुणवत्ताहिन होने पर सफल निविदाकर्ता को पुनः निर्धारित मापदंड अनुसार करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौती सफल निविदाकर्ता के देयकों से किया जाएगा।
27. किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाए जाएंगे।
28. ई-निविदा दर खोले जाने के पश्चात् निविदाकर्ता को ई-निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
29. अनुबंध अवधि में सफल निविदाकर्ता को अपनी निविदा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा अन्यथा ऐसा करते पाए जाने पर सफल निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा एवं उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
30. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना होगा।
31. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग-अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।
32. सफल आवेदनकर्ता को पेंटिंग कार्य हेतु प्रपत्र क्र. 03 में जिलों के सम्मुख दर्शाए गए निर्धारित प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से कार्य पूर्ण कर देना होगा। अनुबंध अवधिमें स्थानों के पेंटिंग कार्य बढ़ाने अथवा घटाने के अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

33. पेंटिंग कार्य दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत पार्लरों/बूथों/एजेंसियों पर अनुमोदित आर्टवर्क के आधार बहुरंगीय में/एकल रंगों में अथवा निर्देशित रंगों के आधार पर करना होगा।
34. कार्य में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री जैसे प्राइमर पेंट (बेस पेंट) आदि आईएसआई ब्रांड का होकर उच्च गुणवत्ता का ब्रांडेड कंपनी का आईल पेंट/एनोमल आईल पेंट उपयोग करना होगा। पेंटिंग स्पष्ट और सुंदर एवं आवश्यकता होने पर स्लाइड/स्टेंसिल का उपयोग भी किया जा सकेगा, परंतु स्लाइड/स्टेंसिल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
35. पेंटिंग स्थल को अनुमोदित पेंटिंग करने के पूर्व सफेद बेसपेंट करना आवश्यक होगा। जिसके सूखने के पश्चात् ही पेंटिंग करना होगी। पेंटिंग में सादी पेंटिंग, आर्टवर्क सहित पेंटिंग तथा हिन्दी/अंग्रेजी फॉन्ट युक्त पेंटिंग सम्मिलित रहेगी।
36. पेंटिंग की गुणवत्ता छः माह तक खराब/फेड नहीं होना चाहिए, यदि खराब होती है तो निशुल्क रि-पेंट करवाया जाएगा, अन्यथा धरोहर राशि से उक्त कार्य करवाया जावेगा।
37. पेंटिंग कार्य दुग्ध संघ द्वारा दिए गए आर्टवर्क अनुसार ही सुनिश्चित करना होगा, आर्टवर्क का सुस्पष्ट होना आवश्यक है। आर्टवर्क अथवा उसके प्रारूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
38. पेंटिंग हेतु नियोजित किए जाने वाले कर्मियों को इन्दौर शहर एवं अन्य स्थानों में वेतन भत्ते या अन्य किसी भी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी। कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दुग्ध संघ उत्तरदायी नहीं रहेगा।
39. कार्य की गुणवत्ता अथवा सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कमी पाए जाने पर दुग्ध संघ के द्वारा अनुपातिक रूप से देयक राशि से कटौती किया जाएगा।
40. पेंटिंग साफ-सुथरी जगह पर करना होगी, गंदी दिवारों तथा गंदे स्थलों पर की गई पेंटिंग का भुगतान प्रबंध द्वारा नहीं किया जाएगा एवं उसे शून्य माना जाएगा। निर्देशित प्रारूप तथा मनोनित स्थल के अलावा की गई पेंटिंग का भुगतान प्रबंध द्वारा नहीं किया जाएगा।
41. इन्दौर शहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में किए गए पेंटिंग कार्य को संबंधित विपणन पर्यवेक्षक से सत्यापित करवाने के पश्चात् किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।
42. पेंटिंग कार्य प्रबंध की आवश्यकता के आधार पर आदेशानुसार संपादित करना होगा।
43. किसी भी रिक्त स्थान पर की जाने वाली पेंटिंग स्थायी होना आवश्यक है जो कम से कम 06 माह रहेगी, ऐसे स्थानों पर पेंटिंग नहीं की जाएगी जो कि अस्थायी हो।
44. दुग्ध संघ द्वारा बताए गए पेंटिंग के स्थानों के अलावा ठेकेदार के द्वारा बताए गए दिवारों पर की जाने वाली पेंटिंग कार्य का भुगतान प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाएगा।
45. ठेकेदार को देयक के साथ किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें किए गए कार्यों की फोटो एवं प्रत्येक फोटों के नीचे कार्य का विवरण अंकित रहेगा। तदुपरांत ही देयकों का भुगतान किया जाएगा।
46. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को 30 दिवस की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का

अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को 30 दिवस का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।

47. द्वितीय पक्ष को इन्दौर शहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा, शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेंटिंग कार्य के लिए ब्रांडेड कंपनी के उच्च गुणवत्ता युक्त आईएसआई मानक स्तर के ऑयल पेंट उपयोग कर कार्य पूरा करना होगा।
48. पालर/बूथ/एजेंसी एवं वॉल में पेंटिंग न्यूनतम 06 माह तक रहना चाहिए। इस अवधि के पहले पेंटिंग खराब होने तथा फेड होने पर द्वितीय पक्ष को पुनः पेंटिंग कार्य पूर्ण कर देना होगा। जिसका पृथक से कोई भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय नहीं होगा।
49. द्वितीय पक्ष इन्दौर शहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा, शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं के स्तर से सामग्रीयों को निर्धारित स्थान पर पहुंचा कर डिस्प्ले करेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से कर्मचारी संलग्न नहीं किया जाएगा व किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
50. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा अनुबंध अवधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार पेंटिंग व लिखाई कार्य हेतु लिखित आदेश प्रदत्त किए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष को दिए गए तय समय-अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
51. द्वितीय पक्ष तथा उसके स्टॉफ प्रथम पक्ष के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से अभ्रदता एवं अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि में जांच के पश्चात् ऐसा करते पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
52. समय-समय पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध उत्पाद के आर्टवर्क/डिजाइन अनुबंध अवधि में त्यौहारों व अन्य अवसरों पर द्वितीय पक्ष को तैयार कर देना होगा। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
53. पेंटिंग एवं अन्य कार्यों में गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर नहीं पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह पुनः उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीयों का उपयोग कर कार्य को पुनः पूर्ण करें अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने पर जितनी हानि प्रथम पक्ष को होगी उसकी गणना कर द्वितीय पक्ष के देयकों से कटौत कर लिया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
54. पेंटिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर दुग्ध संघ में जमा करेंगे एवं पेंटिंग कार्य का वेरिफिकेशन दुग्ध संघ से कराने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
56. द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान प्रतिमाह के 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। विलंब से भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जबाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
57. अनुबंध अवधि में द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान केवल निविदा की स्वीकृत दरों पर ही किया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

58. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
59. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
60. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेंट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
61. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। देयको के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
62. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
63. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।
64. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
65. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानानुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकी होगी।
65. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता की जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा पंचनामा एवं साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रु.10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।

66. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचनामे व साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
67. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 "पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त" में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
68. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तारित की जा सकेगी।
69. आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
70. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
71. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार के अनुबंध निरस्त होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी एवं इस प्रकार के अनुबंध निरस्त होने के कारण प्रथम पक्ष को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि प्रथम पक्ष से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मेरे/हमारे द्वारा पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग कार्य हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम आवेदन की नियम व शर्तें एवं तकनीकी विवरण तथा अन्य वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निर्णय सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं पता

.....

 (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)

वित्तीय बीड :- कार्यक्षेत्र एवं अन्य विवरण :-

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा इन्दौरशहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में।

क्रं.	कार्यक्षेत्र का नाम	पार्लर/बूथ/एजेंसी की अनुमानित संख्या एवं वॉल पेंटिंग एवं लिखाई का क्षेत्रफल वर्गफीट में	कार्य का विवरण	दर प्रति वर्गफीट (GST अतिरिक्त) अंकों में
1	इन्दौर शहर के लिये दरें।	100 Nos	पार्लर/बूथ/एजेंसी/पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		50000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
2	धार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें।	12 Nos	पार्लर/बूथ/एजेंसी/पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		6000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
3	झाबुआ, अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें।	66 Nos	पार्लर/बूथ/एजेंसी/पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		10000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
4	बड़वानी शहर एवं सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें।	8 Nos	पार्लर/बूथ/एजेंसी/पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		6000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
5	खरगोन शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें	13 Nos	पार्लर/बूथ/एजेंसी/पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		8000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं	

			लिखाई	
6	देवास शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें।	40 Nos	पार्लर / बूथ / एजेंसी / पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		7000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
7	खण्डवा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें।	40 Nos	पार्लर / बूथ / एजेंसी / पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		7000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
8	बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें।	15 Nos	पार्लर / बूथ / एजेंसी / पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		6000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
9	अन्य कस्बे शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये दरें	50 Nos	पार्लर / बूथ / एजेंसी / पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		4000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	
	कुल	250 Nos	पार्लर / बूथ / एजेंसी / पेंटिंग एवं लिखाई (अंदर एवं बाहर)	
		100000 वर्गफीट	वॉल पेंटिंग एवं लिखाई	

नोट:- निविदाकार को दरें केवल ऑनलाइन (जी.एस.टी अतिरिक्त) प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता ऑनलाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंको में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।

:: पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग एवं लिखाई कार्य हेतु
निविदा का परिचय प्रपत्र ::

स्वयं का
स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो
लगावें।

1. निविदाकर्ता का नाम
(फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप फर्म/एकल स्वामित्व)
2. पिता/पति का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
.....
.....
4. दूरभाष/मोबाईल नं.
5. ई-मेल एड्रेस (अनिवार्य रूप से अंकित करें)
6. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
.....
7. (अ) पेन नम्बर
(ब) GST NO.
(स) आधार कार्ड नम्बर
8. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर

मेरे/हमारे द्वारा पेंटिंग कार्य हेतु कार्य निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे/हमारे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। निविदा प्रपत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

शपथ पत्र का प्रारूप
(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम आत्मज आयु..... निवासी
यह कि मेरे/हमारे द्वारा सांची पार्लर/बूथ/एजेन्सी व वॉल पेंटिंग कार्य हेतु दिनांक
को समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में तदाशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया
है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत
किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से
अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी
प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नहीं है।

नाम—

हस्ताक्षर —

➤ गवाह ◀

1. हस्ताक्षर

नाम —

पिता —

पता —

मोबाईल नम्बर

2. हस्ताक्षर

नाम —

पिता —

पता —

मोबाईल नम्बर

इति दिनांक, इन्दौर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

:: सत्यापन ::

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या
01, 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी
छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक, इन्दौर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

:: शपथ पत्र का प्रारूप ::
केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें

मैं/हम..... आत्मज

आयु..... निवासी..... यह कि मुझे/हमे पेंटिंग व लिखाई कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव है। एवं मेरे/हमारे द्वारा तदाशय के प्रमाणिकता हेतु कार्य आदेश के प्रतियां ई-निविदा में संलग्न की गई है। जो कि मेरे/हमारे ज्ञान के आधार पर पूर्णतया सही है। यदि अनुबंध अवधि में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य आदेशों की कभी भी, किसी भी कारण से प्रति गलत पाई जाती है तो इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं मैं/हम इस हेतु अपनी सहमती देते है कि मुझे/हमें विरुद्ध इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा की गई कार्यवाही हेतु कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

नाम—

हस्ताक्षर —

➤ गवाह ◀

1. हस्ताक्षर

नाम —

पिता —

पता —

मोबाईल नम्बर

2. हस्ताक्षर

नाम —

पिता —

पता —

मोबाईल नम्बर

इति दिनांक, इन्दौर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

:: सत्यापन ::

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01, 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक, इन्दौर

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

:: अनुबंध का प्रारूप ::

पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग एवं लिखाई कार्य हेतु अनुबंध यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, तलावली चांदा, इन्दौर जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मेसर्स (फर्म/कम्पनी /पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व ठेकेदार कार्य संपादित करेंगे :-

द्वितीय पक्ष द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, तलावली चांदा, इन्दौर के अंतर्गत सम्मिलित जिलों में पार्लर/बूथ/वॉल/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग कार्य के वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मापदंडों पर ई-निविदा में निविदा प्रस्तुत की गई है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा की स्वीकृत दरों पर स्वीकार किया है।

1. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है। जिसे केवल पात्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः निविदाकर्ता अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न करें।
2. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रु.1,000,00/- (रुपये एक लाख मात्र) जो कि पेयबल at इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम से देय होगा, R.T.G.S. के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति उपरांत ईएमडी राशि, प्रतिभूति राशि में समायोजित होगी। तदुपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक माह में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
4. केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किए ऐसी निविदाएं अपात्र घोषित होंगी।
5. **चयन प्रक्रिया-**
 - 5.1 निविदाकर्ताओं के निविदा की तकनीकी अर्हताएं ई-निविदा के नियमों के अनुसार सफल पाए जाने के पश्चात् सफल निविदाकर्ताओं की वित्तीय बिड खोली जाएगी।
 - 5.2 यदि एक से अधिक निविदाकर्ता की ऑनलाईन दरें एक समान पाई जाती हैं तो चयन Computer Randomisation के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता की ई.एम.डी राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।

7. निविदाकर्ता को दर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास निहित होगा।
9. निविदा स्वीकृति के उपरांत सफल निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि 3 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदाकर्ता का कार्य 3 वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर 02 वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
10. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
11. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।
12. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
13. निविदाकर्ता यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
14. पात्र निविदाकर्ता को निविदा की औपचारिकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकर्ता द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में दुग्ध संघ का निर्णय अंतिम होगा।
15. अनुबंध अवधि में निविदा की स्वीकृत दर पर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई दर पर भुगतान देय नहीं होगा। निविदाकर्ता दरें बाजार में प्रचलित वाजिब मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने समस्त व्ययों एवं कर को समाहित करते हुए ऑन लाइन प्रस्तुत करें। ऑन लाइन दरें खोले जाने के उपरांत दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकर्ताओं के अन्य कारण स्वीकार नहीं होंगे।
16. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर से परिवर्तन से परे होना चाहिए।
17. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में, समस्त कर एवं निमार्ण की सामग्री तथा परिश्रमिक व्यय सहित रहेगा।

18. दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वॉल/बूथ/पार्लर/अन्य पेंटिंग कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण करना होगा। कार्य में विलंब किए जाने पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

क्रं.	क्षतिपूर्ति राशि	विलंब की अवधि
1	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

19. पेंटिंग कार्य में लगने समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
20. सफल निविदाकर्ता को देयकों का भुगतान समय-समय पर किए गए कार्यों के सत्यापन होने के पश्चात् किया जाएगा।
21. कार्य में उपयोग की गई सामग्रीयां प्रतिष्ठित कंपनियों के मानक स्तर के ही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह पुनः सामग्रीयों का निर्माण करे अन्यथा दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा।
22. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते पाए जाते हैं तो दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा। जो कि सफल निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।
23. पेंटिंग कार्य हेतु सूची प्रपत्र क्र.03 पर संलग्न है जिसे निविदाकर्ता को केवल ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा।
24. वॉल/बूथ/पार्लर/अन्य पेंटिंग कार्य दुग्ध संघ द्वारा स्पष्ट किए गए मापदंडों एवं गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। समस्त कार्य दुग्ध संघ के संबंधित अधिकारी के मार्गदर्शन एवं देखरेख में किया जाना होगा।
25. सफल निविदाकर्ता को पेंटिंग का कार्य इन्दौर शहर में एवं अन्य स्थानों में दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार गंतव्य स्थल तक पहुंचकर करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। कार्य गुणवत्ताहिन होने पर सफल निविदाकर्ता को पुनः निर्धारित मापदंड अनुसार करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौती सफल निविदाकर्ता के देयकों से किया जाएगा।
26. सफल निविदाकर्ता को पेंटिंग का कार्य इन्दौर शहर में एवं अन्य स्थानों में दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार गंतव्य स्थल तक पहुंचकर करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। कार्य गुणवत्ताहिन होने पर सफल निविदाकर्ता को पुनः निर्धारित मापदंड अनुसार करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौती सफल निविदाकर्ता के देयकों से किया जाएगा।
27. किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाए जाएंगे।
28. ई-निविदा दर खोले जाने के पश्चात् निविदाकर्ता को ई-निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

29. अनुबंध अवधि में सफल निविदाकर्ता को अपनी निविदा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा अन्यथा ऐसा करते पाए जाने पर सफल निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा एवं उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
30. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना होगा।
31. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग-अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।
32. सफल आवेदनकर्ता को पेंटिंग कार्य हेतु प्रपत्र क्र. 03 में जिलों के सम्मुख दर्शाए गए निर्धारित प्रतिवर्ग फुट के हिसाब से कार्य पूर्ण कर देना होगा। अनुबंध अवधिमें स्थानों के पेंटिंग कार्य बढ़ाने अथवा घटाने के अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पेंटिंग कार्य दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र अंतर्गत पार्लरों/बूथों/एजेंसियों पर अनुमोदित आर्टवर्क के आधार बहुरंगीय में/एकल रंगों में अथवा निर्देशित रंगों के आधार पर करना होगा।
34. कार्य में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री जैसे प्राइमर पेंट (बेस पेंट) आदि आईएसआई ब्रांड का होकर उच्च गुणवत्ता का ब्रांडेड कंपनी का आईल पेंट/एनोमल आईल पेंट उपयोग करना होगा। पेंटिंग स्पष्ट और सुंदर एवं आवश्यकता होने पर स्लाइड/स्टेंसिल का उपयोग भी किया जा सकेगा, परंतु स्लाइड/स्टेंसिल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
35. पेंटिंग स्थल को अनुमोदित पेंटिंग करने के पूर्व सफेद बेसपेंट करना आवश्यक होगा। जिसके सूखने के पश्चात् ही पेंटिंग करना होगी। पेंटिंग में सादी पेंटिंग, आर्टवर्क सहित पेंटिंग तथा हिन्दी/अंग्रेजी फॉन्ट युक्त पेंटिंग सम्मिलित रहेगी।
36. पेंटिंग की गुणवत्ता छः माह तक खराब/फेड नहीं होना चाहिए, यदि खराब होती है तो निशुल्क रि-पेंट करवाया जाएगा, अन्यथा धरोहर राशि से उक्त कार्य करवाया जावेगा।
37. पेंटिंग कार्य दुग्ध संघ द्वारा दिए गए आर्टवर्क अनुसार ही सुनिश्चित करना होगा, आर्टवर्क का सुस्पष्ट होना आवश्यक है। आर्टवर्क अथवा उसके प्रारूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
38. पेंटिंग हेतु नियोजित किए जाने वाले कर्मियों को इन्दौर शहर एवं अन्य स्थानों में वेतन भत्ते या अन्य किसी भी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी। कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दुग्ध संघ उत्तरदायी नहीं रहेगा।
39. कार्य की गुणवत्ता अथवा सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कमी पाए जाने पर दुग्ध संघ के द्वारा अनुपातिक रूप से देयक राशि से कटौती किया जाएगा।
40. पेंटिंग साफ-सुथरी जगह पर करना होगी, गंदी दिवारों तथा गंदे स्थलों पर की गई पेंटिंग का भुगतान प्रबंध द्वारा नहीं किया जाएगा एवं उसे शून्य माना जाएगा। निर्देशित प्रारूप तथा मनोनित स्थल के अलावा की गई पेंटिंग का भुगतान प्रबंध द्वारा नहीं किया जाएगा।
41. इन्दौर शहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में किए गए पेंटिंग कार्य को संबंधित विपणन पर्यवेक्षक से सत्यापित करवाने के पश्चात् किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।

42. पेंटिंग कार्य प्रबंध की आवश्यकता के आधार पर आदेशानुसार संपादित करना होगा।
43. किसी भी रिक्त स्थान पर की जाने वाली पेंटिंग स्थायी होना आवश्यक है जो कम से कम 06 माह रहेगी, ऐसे स्थानों पर पेंटिंग नहीं की जाएगी जो कि अस्थाई हो।
44. दुग्ध संघ द्वारा बताए गए पेंटिंग के स्थानों के अलावा ठेकेदार के द्वारा बताए गए दिवारों पर की जाने वाली पेंटिंग कार्य का भुगतान प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाएगा।
45. ठेकेदार को देयक के साथ किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें किए गए कार्यों की फोटो एवं प्रत्येक फोटों के नीचे कार्य का विवरण अंकित रहेगा। तदुपरांत ही देयकों का भुगतान किया जाएगा।
46. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को 30 दिवस की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को 30 दिवस का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
47. द्वितीय पक्ष को इन्दौर शहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा, शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेंटिंग कार्य के लिए ब्रांडेड कंपनी के उच्च गुणवत्ता युक्त आईएसआई मानक स्तर के ऑयल पेंट उपयोग कर कार्य पूरा करना होगा।
48. पार्लर/बूथ/एजेंसी एवं वॉल में पेंटिंग न्यूनतम 06 माह तक रहना चाहिए। इस अवधि के पहले पेंटिंग खराब होने तथा फेड होने पर द्वितीय पक्ष को पुनः पेंटिंग कार्य पूर्ण कर देना होगा। जिसका पृथक से कोई भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा देय नहीं होगा।
49. द्वितीय पक्ष इन्दौर शहर में एवं इन्दौर शहर के बाहर धार एवं ग्रामीण क्षेत्र, झाबुआ/अलीराजपुर एवं ग्रामीण क्षेत्र, बड़वानी, सेंधवा, शहर, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास, खरगोन एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं के स्तर से सामग्रीयों को निर्धारित स्थान पर पहुंचा कर डिस्प्ले करेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से कर्मचारी संलग्न नहीं किया जाएगा व किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
50. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा अनुबंध अवधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार पेंटिंग व लिखाई कार्य हेतु लिखित आदेश प्रदत्त किए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष को दिए गए तय समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
51. द्वितीय पक्ष तथा उसके स्टॉफ प्रथम पक्ष के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से अभ्रदता एवं अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि में जांच के पश्चात् ऐसा करते पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
52. समय-समय पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध उत्पाद के आर्टवर्क/डिजाइन अनुबंध अवधि में त्यौहारों व अन्य अवसरों पर द्वितीय पक्ष को तैयार कर देना होगा। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
53. पेंटिंग एवं अन्य कार्यों में गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर नहीं पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह पुनः उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीयों का उपयोग कर कार्य को पुनः पूर्ण करें अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने पर जितनी हानि प्रथम पक्ष को होगी उसकी गणना कर द्वितीय पक्ष के देयकों से कटौती कर लिया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।

54. पेंटिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर दुग्ध संघ में जमा करेंगे एवं पेंटिंग कार्य का वेरिफिकेशन दुग्ध संघ से कराने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
56. द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान प्रतिमाह के 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। विलंब से भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जबाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
57. अनुबंध अवधि में द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान केवल निविदा की स्वीकृत दरों पर ही किया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
58. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
59. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।
60. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेंट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रुपये 500/- (रुपये पांच सौ रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
61. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। देयको के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
62. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
63. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।
64. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

65. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से कार्य लिया जावेगा उनकर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानानुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकी होगी।
65. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता की जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा पंचनामा एवं साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रु.10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
66. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचनामे व साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
67. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 "पार्लर/बूथ/एजेंसी पेंटिंग व वॉल पेंटिंग कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त" में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
68. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांतरित की जा सकेगी।
69. आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
70. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
71. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार के अनुबंध निरस्त होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी एवं इस प्रकार के अनुबंध निरस्त होने के कारण प्रथम पक्ष को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि प्रथम पक्ष से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मैं पिता / पति / पत्नी.....
टेकेदार अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री / श्रीमति..... को
घोषित करता / करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथमपक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

हस्ताक्षर (द्वितीयपक्ष)
मेसर्स
प्रोपा.

➤ गवाह ◀

1. हस्ताक्षर

नाम -
पिता -
पता -
.....
मोबाईल नम्बर

2. हस्ताक्षर

नाम -
पिता -
पता -
.....
मोबाईल नम्बर

प्रभारी (विपणन)
इन्दौर सहकारी .दुग्ध संघ मर्या.